संख्या-**262** /2025/697/41-1-2025-CN-1712451-2023

प्रेषक,

संजीव कुमार श्रीवास्तव,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
पर्यटन,
उत्तर प्रदेश**,** लखनऊ।

पर्यटन अनुभाग-1 लखनऊ: दिनांक: **21** मार्च, 2025

विषय:-जनपद अयोध्या के गुप्तारघाट में तृतीय चरण केअन्तर्गत प्रस्तावित सौन्दर्यीकरण के निर्माण परियोजना की पुनरीक्षित प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक अपने पत्र सं0-7326/6-1-1(1641)/2022-23**,** दिनांक 10दिसम्बर**,** 2024 एवंपत्र सं0-124747/6-1-1(1641)/2023-24**,** दिनांक06 मार्च 2025 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें**,** जिसके माध्यम से प्रश्नगत परियोजना की पुनरीक्षित प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- अवगत कराना है कि प्रश्नगत प्रायोजना हेतु उत्तर प्रदेशप्रोजेक्टस कारपोरेशन लि0 को कार्यदायी संस्था नामित करते हुए पर्यटन अनुभाग, उत्तर प्रदेश शासन के शासनादेशसं0–481/2023/343758/001-सी0एन0-1712451-1002-001-83-2023-53-बजट-2023 दिनांक 05.07.2023 द्वारा रू0 1657.15 लाख (जी0एस0टी0 सहित) की प्रशासकीय एवं वित्तीयस्वीकृति तथा प्रथम किश्त के रूप में रू0 350.00 लाख, शासनादेशसंख्या-47/55/ 41-1-2024-सी0एन0-1712451-2023-53-बजट-2023 दिनांक17.01.2024 द्वारा द्वितीय किश्त के रूप में रूप 200,00 लाख, शासनादेश संख्या-442/1124/41-1-2024-सी0एन0-1712451-23-53-बजट-2023, दिनांक28.03.2024 द्वारा तृतीय किश्त के रूप में रू0 150.00 लाख तथा शासनादेश संख्या-985/2024/2334-41-1-2024-सी0एन0-1712451-2023, दिनांक 17.12.2024 द्वारा रू0 432.90 लाखअर्थात अब तक कुल रू0 1132.90 लाख की धनराशि अवमुक्त की गयी है ।

3- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जनपद अयोध्या के गुप्तारघाट में तृतीय चरण केअन्तर्गत प्रस्तावित सौन्दर्यीकरण के निर्माण कार्य हेतु प्रायोजना एवं रचना मूल्यांकन प्रभाग द्वारा मूल्यांकित लागत रू0 1833.63 लाख (जी0एस0टी0 सहित) की पुनरीक्षित प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष प्रदान करते हैं:-

(1) प्रश्नगत परियोजना हेतु पूर्व में निर्गत पर्यटन अनुभाग के शासनादेशदिनांक 05.07.2023, शासनादेशदिनांक17.01.2024, शासनादेश दिनांक28.03.2024 तथा शासनादेश दिनांक 17.12. 2024 में उल्लिखित शर्तों/प्रतिबंधों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(2) प्रश्नगत परियोजना हेतु वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2024/बी-1-294/ दस-2024-231/2024**,** दिनांक 04 मार्च**,** 2024 में निहित शर्तों एवं प्रावधानों के अन्तर्गत सुनिश्चित किया जायेगा।

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

(3) प्रश्नगत परियोजना के निर्माण कार्य में वस्तु एवं सेवाकर (जी0एस0टी0) की धनराशि कार्यदायी संस्था को वास्तविक भुगतान के अनुसार नियमानुसार अनुमन्य होगी तथा इस सम्बन्ध में कार्यदायी संस्था द्वारा सक्षम स्तर से अनुमोदित जी0एस0टी0 भुगतान के सम्बन्ध में प्रामाणिक प्रपत्र महानिदेशक पर्यटन के माध्यम से शासन को उपलब्ध कराया जायेगा। उक्त के अतिरिक्त लेबर सेस के रूप में प्रदान की गयी धनराशि श्रम विभाग को भुगतान किये जाने का प्रमाण पत्र कार्यदायी संस्था से प्राप्त कर शासन को उपयोगिता प्रमाण पत्र के साथ उपलब्ध कराया जायेगा।

(4) प्रायोजना का सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात ही कार्य कराया जायेगा। कार्य की गुणवत्ता, मानक एवं विशिष्टियों की जिम्मेदारी पर्यटन निदेशालय/कार्यदायी संस्था की होगी।

(5) प्रायोजनान्तर्गत विभागीय व्यय वित्त समिति/पी0एफ0ए0डी0 द्वारा लगायी गयी शर्तो का पूर्णत: अनुपालन पर्यटन निदेशालय/कार्यदायी संस्था द्वारा सुनिश्चित की जायेगी।

(6) यह अनिवार्य रूप से सुनिश्चित किया जायेगा कि कार्यों की गुणवत्ता उच्चकोटि की हो तथा समय-समय पर कार्यदायी संस्था द्वारा कराये जा रहे निर्माण कार्यो का पर्यवेक्षण (मानीटरिंग) महानिदेशक, पर्यटन द्वारा सुनिश्चित कराया जाय। स्वीकृत धनराशि कोषागार से आहरित कर आहरण के बाउचर संख्या एवं तिथि की सूचना शासन एवं महालेखाकार प्रयागराज को अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

(7) प्रश्नगत परियोजना में होने वाले निर्माण कार्य के सम्बन्ध में यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि निर्माण कार्य आगणन के अनुरूप उसके तकनीकी अनुमोदन के अनुसार किया गया है तथा परियोजना को कार्यदायी संस्था से हस्तगत कराने से पूर्व समस्त औपचारिकताओं को पूर्ण कर लिया जायेगा एवं निर्मित परिसम्पत्ति का समुचित रख-रखाव सुनिश्चित किया जायेगा एवं इसकी अद्यतन प्रगति रिपोर्ट ई-परियोजनाओं की समीक्षा के पोर्टल पर अंकित कराते हुए शासन को अवगत कराया जायेगा।

(8) प्रश्नगत परियोजना में टाइम ओवर-रन/कास्ट ओवर-रन को नियन्त्रित करने के सम्बन्ध में वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या-07/2017/बी-1-823/दस-2017-एम-04/2017 दिनांक 21 जून, 2017 में दिये गये निर्देशों तथा बजट मैनुअल के प्रस्तर -212 (VII) में दिये गये निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया गया।

(9) प्रश्नगत परियोजना में निर्माण कार्य की गुणवत्ता, मानक एवं विशिष्टियों की जिम्मेदारी कार्यदायी संस्था की होगी। अवमुक्त धनराशि के सापेक्ष व्यय की गयी धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र भी निर्धारित प्रपत्र पर सक्षम स्तर से शासन एवं महालेखाकार, प्रयागराज को अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा। सोशल आडिट से सम्बन्धित व्यवस्था/नियमों का भी पूर्णतया अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(10) यह सुनिश्चित किया जायेगा कि उपरोक्तांकित स्वीकृत योजनान्तर्गत कार्यों हेतु किसी अन्य स्रोतों से धनराशि प्राप्त न की गयी हो। यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि इस योजना की वर्तमान तथा भविष्य में अन्य योजनाओं में द्विरावृत्ति/पुनरावृत्ति न हो और इसके रख-रखाव हेतु राज्य सरकार के ऊपर व्यय-भार न पड़े। कार्यदायी संस्था से कार्य की समाप्ति के पश्चात सम्प्रेक्षित लेखे अनिवार्य रूप से प्राप्त कर शासन को उपलब्ध कराया गया।

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

(11) कार्यदायी संस्था द्वारा शासकीय धन पर यदि ब्याज अर्जित किया गया है, तो उसे अनिवार्य रूप से राजकोष में जमा कराना सुनिश्चित किया गया। यह भी अनिवार्य रूप से सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि आगणन में बाट आउट एवं प्रोप्राइटरी श्रेणी के कार्यों पर सेन्टेज का भुगतान अनुमन्य न किया जाय। इसका अनुपालन पर्यटन निदेशालय एवं कार्यदायी संस्था द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

(12) प्रायोजनान्तर्गत नियमानुसार समस्त यथा आवश्यक वैधानिक अनापत्तियाँ एवं प्रयावरणीय क्लियरेन्स सक्षम स्तर से प्राप्त करके एवं सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात ही कार्य कराया जायेगा।

(13) पुनरीक्षित परियोजना में मूल स्वीकृत लागत रू0 1657.15 लाख वर्ष 2022-23 की दरें हैं, जबकि अतिरिक्त नवीन कार्य लागत रू0 176.48 लाख का गठन प्रमुख अभियंता (परिकल्प/नियोजन), उ0प्र0 लोक निर्माण विभाग के पत्र संख्या-387/कैम्प-प्र0अभि0(परि0/नि0)/24-भवन, दिनांक 25.10.2024 द्वारा इन्टीग्रेटेड एस0ओ0आर0 एवं दिनांक 26.10.2023 को दी गयी व्यवस्था के अनुसार डी0एस0आर0-2023 के आधार पर किया गया है । कतिपय ऐसी कार्यमदें जिनकी दरें उक्त दरों में उपलब्ध नहीं है, उन्हें बाजार दरों/कोटेशन के आधार पर प्रस्तावित की गयी है ।

(14) प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यों पर नियमानुसार 18 प्रतिशत जी0एस0टी0 की धनराशि अनुमन्य कर दी गयी है। पर्यटन निदेशालय/कार्यदायी संस्था द्वारा अपने स्तर से सुनिश्चित किया जायेगा कि प्रायोजनान्तर्गत विभिन्न कार्यमदों में जी0एस0टी0 अलग से सम्मिलित न हो।

(15) परियोजना में कोई उल्लेखनीय परिवर्तन जैसे-नये कार्य बढ़ाना, कार्यों के आकार में वृद्धि एवं अन्य उच्च विशिष्टियाँ इस्तेमाल करना इत्यादि, सक्षम स्तर का पूर्व अनुमोदन प्राप्त किये बिना नही किया जायेगा।

(16) प्रयोजनान्तर्गत सम्पादित कार्यों की द्विरावृत्ति (डुप्लीकेसी) को रोकने की दृष्टि से प्रायोजना की स्वीकृति से पूर्व पर्यटन निदेशालय द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा कि यह कार्य पूर्व में किसी अन्य योजना/ कार्यक्रम के अन्तर्गत न तो स्वीकृत है और न वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम में आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है।

(17) प्रायोजनान्तर्गत सेन्टेज चार्जेज (प्रतिशत प्रभार) , निर्माण लागत तथा वित्तीय स्वीकृति से सम्बन्धित वित्तीय प्रबन्धन के सम्बन्ध में वित्त (लेखा) अनुभाग- 2 के शासनादेश संख्या- 01/2023/ ए- 2-60/ दस-2023-17(4)/75, दिनांक 17.05.2023 एवं शासनादेश संख्या- 02/2023/ ए- 2-66/ दस- 2023-17(4)/75, दिनांक 19 मई , 2023 में निहित दिशा-निर्देशों के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

(18) प्रश्नगत परियोजना की पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति पर्यटन निदेशालय द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना/विवरण के आधार पर प्रदान की जा रही है। यदि परियोजना के मानक के सम्बन्ध में कोई सूचना गलत पायी जाती है, तो इसका पूर्ण उत्तदायित्व कार्यदायी संस्था एवं पर्यटन निदेशालय एवं क्षेत्रीय अधिकारियों का होगा।

(19) महानिदेशक**,** पर्यटन द्वारा कार्य पूर्ण होने के उपरान्त कार्यदायी संस्था से सम्प्रेक्षित लेखे अवश्य प्राप्त किये जायेंगे।

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

(20) सोलर लाइट/सौर ऊर्जा से सम्बन्धित लाइटों/उपकरणों का क्रय उ0प्र0 नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विकास अभिकरण **(**UPNEDA**)** से नियमानुसार क्रय किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

(21)प्रयोजनान्तर्गत पर्यटन निदेशालय/कार्यदायी संस्था वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-2 के शासनादेशसंख्या-बी-2-2528/दस-2014-10/77, दिनांक 26.08.2014 में दिये गयेदिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(22) व्यय वित्त समिति/प्रायोजना एवं रचना मूल्यांकन प्रभाग की शर्तों का अनुपालन पर्यटन निदेशालय/कार्यदायी संस्था द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

(23) परियोजना के कार्य पूर्ण होने के उपरान्त परियोजना की क्लोजर रिपोर्ट एक पक्ष के भीतर उपलब्ध करायी जायेगी । परियोजना की क्लोजर रिपोर्ट उपलब्ध न कराये जाने की स्थिति में उक्त कृत्य को अनियमितता मानते हुए सम्बन्धित परियोजना प्रबन्धक/अपर परियोजना प्रबन्धक एवं ठेकेदार के विरूद्ध नियमानुसार प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफ0आई0आर0) दर्ज कराने की कार्यवाही पर्यटन निदेशालय/सम्बन्धित क्षेत्रीय पर्यटन अधिकारी/उपनिदेशक, पर्यटन द्वारा की जायेगी।

4- यह आदेश वित्त विभाग के **अशासकीय संख्या-ई-7-283/दस-2024-25 दिनांक 14 फरवरी, 2025 को**उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(संजीव कुमार श्रीवास्तव)
उप सचिव।

<u>संख्या व दिनांक तदैव</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2. महालेखाकार (लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
3. निजी सचिव**,** माननीय मंत्री**,** पर्यटन विभाग**,**उत्तर प्रदेश शासन ।
4. जिलाधिकारी, अयोध्या ।
5. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
6. प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश प्रोजेक्ट कारपोरेशन लि0,लखनऊ।
7. वित्त नियंत्रक, पर्यटन निदेशालय, लखनऊ।
8. क्षेत्रीय पर्यटन अधिकारी(राज्य योजना) पर्यटन निदेशालय**,** लखनऊ ।
9. उप निदेशक**,** पर्यटन**,** अयोध्या मण्डल अयोध्या ।
10. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-7
11. गार्ड-फाइल।

आज्ञा से,

(संजीव कुमार श्रीवास्तव)
उप सचिव।

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in